2419
04/09/2024

झारखण्ड सरकार

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

संकल्प

विषयः– झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेरान्दी योजना की रूप–रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–3651, दिनांक–20.12.2022 की कंडिका–4.10 को संशोधित करने के संबंध में।

1. झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी योजना की रूप–रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या–3651, दिनांक–20.12.2022 निर्गत है।
2. विभागीय संकल्प संख्या–3651 दिनांक–20.12.2022 के कंडिका 4.10 में निम्न प्रावधान हैः–

   'यदि कब्रिस्तान रैयती भूमि पर हो तो उनके विकास हेतु The Right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement Act, 2013 की धारा–02 के तहत अधिग्रहण किया जाएगा।'

   उक्त प्रावधान में निम्न त्रुटियाँ हैः–

   (i) रैयती भूमि जिसमें पूर्व से कब्रिस्तान अवस्थित है तथा जिसका उपयोग पूर्व से कब्रिस्तान के रूप में किया जा रहा है, अधिग्रहण के पश्चात् सरकार की जमीन हो जाएगी जिसका उपयोग सरकार किसी अन्य योजना के लिए भी कर सकेगी जिससे कब्रिस्तान का मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

   (ii) रैयती भूमि अधिग्रहण के पश्चात् रैयत का व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा।

   (iii) उक्त संकल्प संख्या–3651 दिनांक–20.12.2022 के निर्गत के पश्चात् रैयती भूमि पर कब्रिस्तान घेराबंदी का कार्य पूर्णतः बाधित है।
3. उक्त त्रुटियों के निराकरण हेतु संकल्प संख्या–3651, दिनांक–20.12.2022 की कंडिका–4.10 को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता हैः–

   4.10 कब्रिस्तान रैयती भूमि पर होने की स्थिति में रैयत द्वारा भूमि को कब्रिस्तान के उपयोग के लिए नियमानुसार पंजीकृत दस्तावेज़ द्वारा दान (donation by registered document) के उपरान्त योजना का क्रियान्वयन किया जा सकेगा।
4. संकल्प संख्या–3651, दिनांक–20.12.2022 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।
5. संकल्प की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेंगी।
6. इसपर मंत्रिपरिषद् की दिनांक–29.08.2024 की बैठक में मद संख्या–36 के तहत स्वीकृति प्राप्त है।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव
2.9.24

ज्ञापांकः–05/कब्रि०घेरा०सं०–18/2021– 2419 रॉंची, दिनांकः– 04/09/2024

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रॉंची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस संकल्प को आगामी झारखण्ड गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी 300 प्रति विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव
2.9.24

ज्ञापांकः–05/कब्रि०घेरा०सं०–18/2021– 2419 रॉंची, दिनांकः– 04/09/2024

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० व हक०), झारखण्ड, रॉंची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, रॉंची/माननीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण), झारखण्ड के आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान

सचिव / सचिव एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / आदिवासी कल्याण आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उपविकास आयुक्त / सभी परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण / सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी विशिष्ट पदाधिकारी, पहाड़िया कल्याण / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी / बजट प्रशाखा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कृपा नन्द झा)
सरकार के सचिव।